## विचार बिन्दु

**अतिथि जिसका अन्न खाता है, उसके पाप धुल जाते हैं। –अथर्ववेद**

# चुनाव आयोग की अग्नि परीक्षा

दो विधान सभाओं के शीघ्र ही चुनाव होंगे, यह घोषणा चुनाव आयोग कर चुका है। जनरल इलेक्शन भी इन चुनावों के बाद 2020 में होने जा रहे हैं।

कुछ वर्षों से यह आवाज उठती आ रही है कि चुनाव कानूनों में संशोधन होना आवश्यक है। परिस्थितियां बदल रही हैं, लोगों की अपेक्षायें बढ रही हैं, मतदान की प्रक्रिया में काफी परिवर्तन हो चुका है। प्रत्येक चुनाव में चुनाव आयोग उम्मीदवारों से शुद्ध आचरण की अपेक्षा करता है, आचार संहिता जारी करता है। मतदान इलेक्ट्रोनिक मशीन से होता है, मतदाता को नाटो के प्रयोग का अधिकार है। चुनाव सभा करने के भी नियम हैं। पेड-न्यूज, राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित सभाओं व जुलूस, लाउड स्पीकर के प्रयोग पर अंकुश है तथा उम्मीदवारों को विज्ञापन संबंधी निर्देशनों की पालना करनी होगी। डिजीटलाइजेशन से क्रान्ति आ गई है। राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों को चुनाव खर्चों पर ध्यान देना होगा, इस संबंध में आयोग के निर्देशनों की पालना आवश्यक है।

कानून संविधान व मूल कर्त्तव्य ये निर्देशन देते हैं कि उन पर अमल करना मूल कर्त्तव्य है। इनका उद्देश्य है कि लोकतंत्र के चुनाव निष्पक्ष हों, पारदर्शी हों, स्वतंत्र व भयमुक्त हों। मतदाता असमंजस्य की स्थिति में क्या करे? क्या वह दागी व्यक्ति को चुनाव में मत दे? क्या वह अशिक्षित व्यक्ति को अपना अमूल्य मत दे क्योंकि कानून में चुनाव में खडे होने के हेतु शिक्षा योग्यता (Qualification) नहीं है।

क्या वे देश के संविधान में जो नागरिकों के कर्त्तव्य अनुच्छेद 51क में बताये हैं, उनकी पालना करते हैं? जो व्यक्ति नागरिकों के कर्त्तव्य की ही पालना नहीं कर सकता उसको देश के लिये कानून बनाने का कार्य कैसे दिया जा सकता है? जो पढा लिखा नहीं है, स्वयं दागी है उसे कानून बनाने वाला कैसे माना जा सकता है? संविधान का अनुच्छेद 51क कहता है कि देश के नागरिकों का कर्त्तव्य होगा कि वह हिंसा से दूर रहे तथा सार्वजनिक सम्पत्ति की तोडफोड न करे। चुनाव लडने वाले ऐसे भी मिलेंगे या तो वे अशिक्षित हैं, अथवा यों कहें आठवीं कक्षा तक भी नहीं पढे हैं तथा एक नहीं अनेक आगजनी की घटनाओं में व सार्वजनिक सम्पत्ति की तोडफोड में लिप्त रहे हैं। पुलिस वेहिकल्स को आग लगाना, रेल की पटरी उखाडना तो मामूली सी घटनायें हैं। राजनैतिक दलों को जो मनलुभाने वाले वायदें करते हैं, उनके उम्मीदवार को चुनाव में खडे होने का अधिकार क्यों हो?

संसद व विधानसभा में हंगामा करने वाले सांसद/विधायक को हंगामें के दिन का वेतन नहीं मिलना चाहिये। हेट स्पीच व धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने वालों को करप्ट प्रेक्टिस का दोषी मानकर उचित दण्ड दिया जाना चाहिये तथा चुनाव याचिका में यह माना जा सकता है कि इससे चुनाव पर विपरीत असर हुआ है।

समय बदल रहा है, प्रक्रियायें बदल रही हैं, अत: समय के अनुसार कानून में संशोधन होना चाहिये। जिस देश में आठवीं कक्षा तक की शिक्षा अनिवार्य व मुफ्त हो वहां बिना पढा लिखा व्यक्ति कानून बनाने वाला हो, यह कैसी हास्यापद स्थिति है। सांसद और विधायकों ने अपने हितों के लिये पेंशन का कानून बनाया है।

संसद व विधान सभाओं में एक बडी संख्या के लोगा चुनाव जीतकर जाते हैं, वे दागी हैं। उदाहरण हेतु यूपी विधानसभा के गत चुनाव के पहले चरण में 615 में से 156 (25 प्रतिशत) प्रत्याशियों के ऊपर आपराधिक मामले घोषित किये हैं। इनमें 20 प्रतिशत प्रत्याशी गम्भीर आपराधिक मामले थे। महिलाओं से संबंधित अपराध घोषित करने वाले 12 लोग हैं। 280 करोड पति थे। लगभग ऐसे स्थिति अन्य जगहों पर भी है।

चुनाव आयोग को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव को संचालित करने हेतु अपरिमित अधिकार हैं। ये अधिकार प्रशासनिक, विधायिकी और न्यायिक तीनों ही हैं। चुनाव आयोग के निर्देशन कानून के समान है। चुनाव आयोग उस समय कानून नहीं बना सकता जहां पहले कोई कानून है। चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता जारी करता है। वस्तुत: चुनाव आयोग का कर्त्तव्य है कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतंत्र तथा शान्तिपूर्ण सम्पन्न हों और चुनाव में खडे होने वाले तथा राजनैतिक पार्टियां सभी सदआचरण के साथ आचार संहिता व चुनाव कानूनों की पालना करें। चुनाव आयोग को आचार संहिता के माध्यम से राजनैतिक पार्टियां व उम्मीदवारों से निम्नलिखित प्रकार के आचरण की अपेक्षायें है:-

(अ) कोई पार्टी व उम्मीदवार ऐसी कोई कार्यवाही, कृत्य और प्रोग्राम नहीं करेगा जो स्थिति को बिगाड दे और आपसी सदभाव को समाप्त कर घृणा को जन्म दे और जाति, धर्म, भाषायी व साम्प्रदायिकता को तनावपूर्ण बना दे। व्यक्तिगत रूप से किसी उम्मीदवार की आलोचना नहीं करेंगे तथा ऐसे आरोप नहीं लगायेंगे जिनका आधार ही न हो। वे जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद के नाम पर मतदाता से कोई अपील नहीं करेंगे। वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो चुनाव के कानून के तहत् अपराध हो। वे न तो मतदाता को डरायेंगे, न उन्हें कोई प्रलोभन देंगे। वे प्रचार मतदाता केन्द्र के 100 मीटर की दूरी में नहीं करेंगे। कार्यकर्ता जो परिचय पत्र/पर्ची मतदाता को देंगे उसे प्रचार का साधन नहीं बनायेंगे।

**संसद व विधान सभाओं में एक बडी संख्या के लोगा चुनाव जीतकर जाते हैं, वे दागी हैं। उदाहरण हेतु यूपी विधानसभा के गत चुनाव के पहले चरण में 615 में से 156 (25 प्रतिशत) प्रत्याशियों के ऊपर आपराधिक मामले घोषित किये हैं। इनमें 20 प्रतिशत प्रत्याशी गम्भीर आपराधिक मामले थे। महिलाओं से संबंधित अपराध घोषित करने वाले 12 लोग हैं। 280 करोड़ पति थे। लगभग ऐसे स्थिति अन्य जगहों पर भी है।**

(ब) कोई भी उम्मीदवार व पार्टी एक दूसरे उम्मीदवार की व्यक्तिगत जिन्दगी में नहीं झांकेगा।

(स) प्रस्तावित सभा बिना पुलिस को पूर्व सूचना व अनुमति के नहीं करेंगे और निषेधात्मक आज्ञा की पालना करेंगे।

(द) मतदान के दौरान और उससे पूर्व के 48 घण्टे में किसी को शराब पिलाने के लिये मतदान हेतु प्रलोभन नहीं देंगे।

(य) कोई लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा नहीं करेंगे।

(र) राजनैतिक व उम्मीदवार दलों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे चुनाव खर्चों पर विशेष ध्यान दें।

(ल) आयोग के निर्देशनों की पालना करना होगा आदि। प्रत्येक चुनाव के समय नई नई आचार संहिता जारी की जा सकती है।

इन परिस्थिति में वर्तमान भ्रष्टाचार व जातिवाद के भूत को भगाने के लिये मतदाता को क्या करना होग, इस पर विचार आवश्यक है। जनता को अपना घोषणा पत्र जारी करना चाहिये कि वे कैसे लोगों को चुनाव में विजयी बनाना चाहते हैं।

मतदान कम होता है। प्राय: देखा गया है कि पढे लिखे व धनाड्य व्यक्ति मतदान में भाग नहीं लेते। अत: आवश्यक है कि चुनाव में मतदान करना अनिवार्य होना चाहिये। चुनाव कानून में इस संबंध में संशोधन होना चाहिये।

चुनाव में मीडिया की भूमिका संदिग्ध है। मीडिया चुनाव प्रचार में जोश पैदा करता है। कुछ समय से चुनाव पूर्व मीडिया सर्वेक्षण करा कर मतदाता के रूख को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। मीडिया सर्वेक्षण केवल मतदान के बाद ही होना चाहिये। अत: इस संबंध में चुनाव आयोग उचित व प्रभावी आचार संहिता जारी कर सकता है, अथवा चुनाव कानून में यथोचित प्रावधान होने चाहिये। वस्तुत: मतदान से पूर्व सर्वेक्षण मतदाता को भ्रमित करता है और सर्वेक्षण केवल मुट्ठी भर लोगों के विचारों के आधार पर किया जाता है जो उचित नहीं कहा जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मतदान संवैधानिक व स्टेचूटरी अधिकार है यह अधिकार गोपनीय है। मतदान का निर्णय कि वह किस प्रकार के उम्मीदवार को अपना मत देना चाहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुसार मूल अधिकार है। इस अधिकार का आधार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) व अनुच्छेद 21 तथा इन्टरनेशनल कॉवेनेन्ट ऑन सिविल व पोलिटिकल राइट्स व यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ हयूमन राइट्स से प्रवाहित होता है। एक नया अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय से दिया है वह है 'एन ओटीए'। इसे मत पत्र में दर्शाया गया है।

वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव कानून में कई संशोधन की आवश्यकता है। जिस देश के संविधान में शिक्षा के अधिकार को नि:शुल्क व अनिवार्य आठवीं कक्षा तक के लिये अनुच्छेद 45 में 10 वर्ष तक की अवधि के लिये माना गया हो वहां बिना पढा लिखा उम्मीदवार नहीं होना चाहिये। अत: कानून में प्रावधान होना चाहिये कि संसद के हेतु खडे होने वाला व्यक्ति कम से कम बीए तथा विधान सभा के हेतु मेट्रिक पास तो होना चहिये।

आज तो बिना पढा लिखा व्यक्ति भी संसद के हेतु खडा हो सकता है। राजस्थान में मंत्री पद पर नियुक्त एक महिला ने अंगूठा लगाकर शपथ ली थी। पंचायत में पंच, सरपंच के हेतु चुनाव में खडा होने के हेतु Qualification का प्रावधान कानून में है, किन्तु आश्चर्य है संविधान के अनुच्छेद 45 की प्रवज्ञा करते हुये सांसद व विधायक का चुनाव लडने वाले प्रत्याशी के लिये कोई Qualification निर्धारित नहीं है।

चुनाव लडने वाला इस देश का नागरिक होना चाहिये और नागरिक के कर्त्तव्य जो हैं संविधान के अनुच्छेद 51क में परिभाषित किये हैं उनकी पालना करना चाहिये। संविधान के इस अनुच्छेद में नागरिक के कर्त्तव्य के हेतु यह अपेक्षा की गई है वह हिंसा से दूर रहेगा व सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करेगा तथा महिलाओं का सम्मान करेगा। देश में किसान आंदोलन और आरक्षण हेतु आन्दोलन में हिंसा का तथा सार्वजनिक सम्पत्ति का जिसमें रेल्वे लाइन्स को नुकसान पहुंचाने का कृत्य भी आता है। जो व्यक्ति नागरिक के कर्त्तव्य की पालना नहीं करता है, उसे चुनाव लडने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। अत: चुनाव कानून में इस हेतु स्पष्ट प्रावधान होना चाहिये कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव लडने के हेतु अयोग्य माने।

चुनावों में हेट स्पीच, धर्म विरोधी प्रचार और चुनाव आयोग द्वारा प्रचारित आचार संहिता का खुला उल्लंघन होता है, इन्हें आपराधिक मानकर जुर्माना अथवा सजा का प्रावधान कानून में होना चाहिये और Corrupt Practice की परिभाषा को अधिक प्रभावशाली बनाकर चुनावों को सार्थक बनाया जावे। नये कानून की नई परिस्थिति में संशोधन आवश्यक है। यही समय है चुनाव आयोग की अग्नि परीक्षा का और चुनावों को पारदर्शी, निष्पक्ष व स्वतंत्र बनाने का ताकि लोकतंत्र मजबूत आधार पर खडा हो सके। जहाँ जनता का शासन जनता के हित के लिये हो। ये संशोधन अथवा नया कानून 2023 के जनरल चुनावों के पहले होने चाहियें।

आयोग द्वारा जारी की गई आचार संहिता उम्मीदवार के हेतु बाध्यकारी है, फिर भी कानून द्वारा उन्हें वैध माना जा सकता है। चुनाव आयोग स्वयं रिट दायर कर कोर्ट से निर्देशन ले सकता है केन्द्रीय सरकार को भी निर्देशन दे सकता है कि वह इस हेतु कानून बनाये।

**–अतिथि सम्पादक,**
**पानाचन्द जैन**
**पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट**

# शिरीष खरे को स्वयं प्रकाश स्मृति सम्मान

## गद्य कृति ''एक देश बारह दुनिया'' का सम्मान के लिए चयन

दिल्ली। 20 अक्टूबर 2022. साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत संस्थान 'स्वयं प्रकाश स्मृति न्यास' ने सुप्रसिद्ध साहित्यकार स्वयं प्रकाश की स्मृति में दिए जाने वाले वार्षिक सम्मान की घोषणा कर दी है। न्यास के अध्यक्ष प्रो मोहन श्रोत्रिय ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मान में इस बार कथेतर विधाओं में रिपोर्ताज़ लिए सुपरिचित लेखक और पत्रकार शिरीष खरे की पुस्तक एक देश बारह दुनिया को दिया जाएगा।

शिरीष खरे

सम्मान के लिए तीन निर्णायक मंडल ने इस पुस्तक को वर्ष 2022 के लिए चयनित करने की अनुशंसा की है। निर्णायक मंडल के वरिष्ठतम सदस्य काशीनाथ सिंह (वाराणसी) ने अपनी संस्तुति में कहा कि युवा लेखक शिरीष खरे का रिपोर्ताज़ लेखन एक साथ वैचारिक और साहित्यिक कसौटियों पर खरा उतरता है। उनकी पुस्तक एक देश बारह दुनिया उस लेखन परम्परा का विकास है जो रांगेय राघव, अमृत राय और स्वयं प्रकाश जैसे लेखकों ने निर्मित की है। यह सामाजिक सरोकारों वाला ऐसा समर्थ गद्य है जो कथेतर लेखन को भी ऊंचाई देने वाला है।

प्रो श्रोत्रिय ने बताया कि मूलत: राजस्थान के अजमेर निवासी स्वयं प्रकाश हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में मौलिक योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ढाई सौ के आस-पास कहानियाँ लिखीं और उनके पांच उपन्यास भी प्रकाशित हुए थे। इनके अतिरिक्त नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध और बाल साहित्य में भी अपने अवदान के लिए स्वयं प्रकाश को हिंदी संसार में जाना जाता है। उन्हें भारत सरकार की साहित्य अकादेमी सहित देश भर की विभिन्न अकादमियों और संस्थाओं से अनेक पुरस्कार और सम्मान मिले थे। उनके लेखन पर अनेक विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हुआ है तथा उनके साहित्य के मूल्यांकन की दृष्टि से अनेक पत्रिकाओं ने विशेषांक भी प्रकाशित किए हैं। 20 जनवरी 1947 को इंदौर में जन्मे स्वयं प्रकाश का निधन कैंसर के कारण 7 दिसम्बर 2019 को हो गया था। लम्बे समय से वे भोपाल में निवास कर रहे थे और यहाँ से निकलने वाली पत्रिकाओं वसुधा तथा चकमक के सम्पादन से भी जुड़े रहे।

प्रो श्रोत्रिय ने बताया कि लेखक शिरीष खरे को सम्मान में ग्यारह हजार रुपये, प्रशस्ति पत्र और शॉल भेंट किये जाएंगे। इस सम्मान के लिए देश भर से बड़ी संख्या में प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई थीं जिनमें से प्राथमिक चयन के बाद श्रेष्ठ कृतियों को निर्णायकों के पास भेजा गया।

एक देश बारह दुनिया पुस्तक के बारे में जब मुख्यधारा की मीडिया में अदृश्य संकटग्रस्त क्षेत्रों की ज़मीनी सच्चाई वाले रिपोर्ताज लगभग गायब हो गए हैं तब इस पुस्तक का सम्बन्ध एक बड़ी जनसंख्या को छूते देश के इलाकों से है जिसमें शिरीष खरे ने विशेषकर गाँवों की त्रासदी, उम्मीद और उथल-पुथल की परत-दर-परत पड़ताल की है।

यह देश-देहात के मौजूदा और भावी संकटों से संबंधित नया तथा ज़रूरी दस्तावेज़ है।

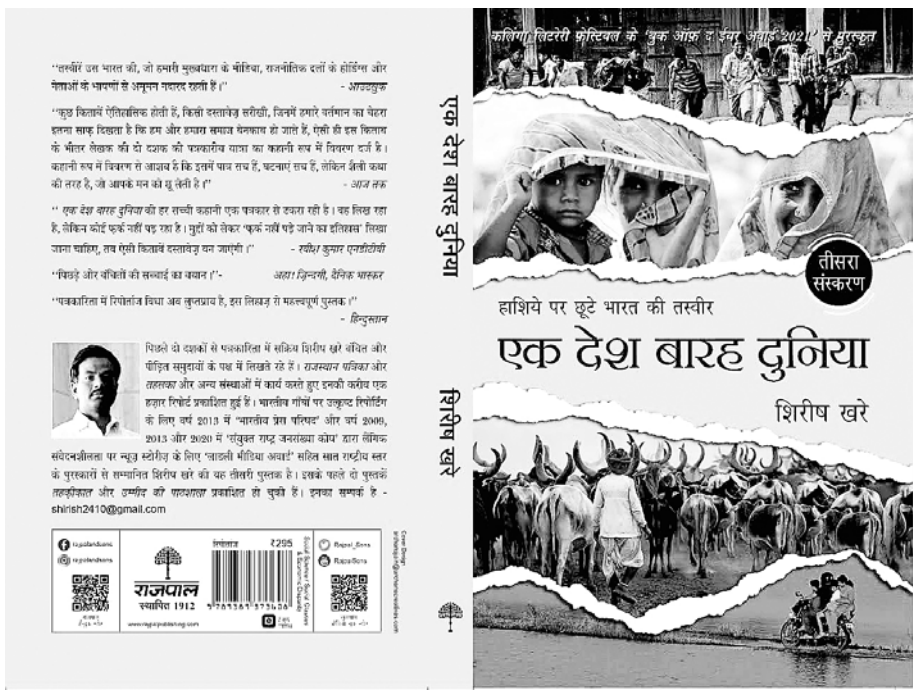


इक्कीसवीं सदी के मेट्रो-बुलेट ट्रेन के भारत में विभिन्न प्रदेशों के वंचित जनों की ज़िन्दगियों के किस्से एक बिल्कुल दूसरे ही हिन्दुस्तान को पेश करते हैं।

यह भारत की ऐसी तस्वीर है जो छिपाई जाती है, लेकिन जिसे फ्रंट पर होनी चाहिए। इनका सरोकार उन स्थानों से है जिनके बारे में हो सकता है कि लोगों ने सुना भी हो, लेकिन शायद वे वहाँ पहुँचने से रह गए हों। इसमें उन समुदायों के किस्से हैं जिन्हें कभी विकास, कभी आधुनिकता तो कभी परिवर्तन के नाम पर पहले से अधिक हाशिये पर धकेल दिया गया है। दरअसल, यह एक-दूसरे से बहुत दूर की दुनियाओं में रहने वाले वंचितों के दुख, तकलीफ़, संघर्ष, प्यार, उनकी ख़ुशियों और उम्मीदों का अलग-अलग यथार्थ है जिसे देख लगता है कि क्या यह एक ही देश है!

यहां इस एक देश से कुल बारह रिपोर्ताज़ हैं जो पत्रकारिता के दौरान अलग-अलग वर्षों में विभिन्न राज्यों से खोजी गईं न्यूज़ स्टोरीज़ का नतीज़ा है। यहाँ मैंने उन्हीं सपाट सूचनाओं के सहारे विश्वसनीय विवरणों के साथ गहराई में उतरने और लोगों के अनुभवों का दस्तावेज़ बनाने की कोशिश की है। ऐसा इसलिए कि कई बार किसी आदमी से जुड़ी कोई घटना के बारे में समाचारों में कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन जिसे कहने की सबसे अधिक ज़रूरत लगने लगती है। इनमें सच्ची कहानियाँ हैं। यहाँ तक कि अधिकांश पात्र और स्थानों के नामों को भी ज्यों का त्यों रखा गया है।

इस दौरान उन्हें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, बुंदेलखंड और राजस्थान के थार तथा कई जनजातीय अँचलों में स्थानीय लोगों के साथ लंबा समय बिताने का बढ़िया मौका मिला। हर ज़गह समकालीन भारत की बेचैनी और विकट परिस्थितियों को सामूहिक चेतना का हिस्सा नजर आता है। हर एक दुनिया के अधिक से अधिक भीतर तक वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संकटों की परतों को खोलती हुई दिखती हैं।

**पल्लव,**
**सचिव,**
**स्वयं प्रकाश स्मृति न्यास,**

# भीलवाड़ा के ''मुरके'' के स्वाद के दीवाने हैं गुजराती और मराठी लोग

**भीलवाडा,** (निसं)। भीलवाडा जिले में लगी सैकड़ों भट्टियों पर इन दिनों देशी घी से एक खास मिठाई तैयार हो रही है। साल में केवल 20 दिन बनने वाली ये मिठाई दशहरा से दीपावली तक ही बिकती है। डिमांड इतनी होती है कि 1000 दुकानों का माल भी कम पड़ जाता है।

भीलवाड़ा के फेमस मुरके यहां के लोग दीपावली के दिन धन की देवी महालक्ष्मी को भी इसी मिठाई का भोग लगाते हैं। करीब 100 साल से तैयार हो रहे इस जायके के गुजराती से लेकर मराठी लोग भी दीवाने हैं।

नवरात्रि तक भीलवाड़ा में मिठाई के केवल 60-70 दुकानें होती हैं लेकिन दशहरा की शुरुआत होते ही शाम तक अचानक सैकड़ों भट्टियों से देशी घी की महक उठने लगती है। फिर शुरू होता है भीलवाडा के मशहूर मुरके निकालने का सिलसिला । पूरे

- **दिवाली के सिर्फ 20 दिन ही बनती है ये मिठाई, लाखों का कारोबार**

भीलवाडा में अगले 20 दिनों तक मुरकों का स्वाद लोगों की जुबान पर छाया रहता है।

इस मिठाई को जब कोई बाहरी व्यक्ति पहली बार देखता है तो इसे जलेबी ही दिखती है या फिर इमरती बताने लगता है। लेकिन जब स्वाद लेता है तो समझ आता है कि न तो यह जलेबी है और न ही इमरती। बल्कि मुरके हैं, जो मैदा नहीं, उड़द की दाल से तैयार होते हैं। शहर भर में केवल 20 दिन के लिए इसके हजार से ज्यादा काउंटर लग जाते हैं। हलवाई जानकी लाल सुखवाल बताते हैं कि ये जायका 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। जिले में

**भीलवाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई ''मुरका''।**

भूरालाल काबरा नाम के हलवाई ने प्रयोग कर इस मिठाई को पहली बार बनाया था। जिले के कोटड़ी क्षेत्र में उडद दाल का उत्पादन काफी होता है। लोग लक्ष्मी पूजन और गोवर्धन पूजन पर इसी मिठाई से ही भोग लगाते हैं। भीलवाडा शहर सहित जिले के मांडल, शाहपुरा, कोटडी, गुलाबपुरा, हमीरगढ कस्बों में भी लोग इस ठिाइ दीवाने हैं।

पुश्तैनी मुरके की मिठाई बनाने वाले भैरूलाल पाटनी कहते हैं कि हमारे यहां तीन पीढ़ी से यह मिठाई बनती है । उन्होंने बताया कि अब तक उनको 40 साल हो गए हैं इस मिठाई को बनाते हुए। मिठाई बनाने वाले हलवाई भंवर सिंह ने बताया कि इस मिठाई की सबसे खास बात यह है कि यह उडद की दाल की बनती है और दूसरी मिठाइयों से काफी सस्ती भी होती है। मिठाई खरीदने चित्तौड़ से आए कन्हैयालाल खटीक कहते हैं कि यहां पर मुख्य रूप से मुरके का प्रचलन ज्यादा है क्योंकि भीलवाडा में लक्ष्मी पूजन में मुरके का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। भीलवाडा जिले इस मिठाई को बडे चाव से लोग पसंद भी करते हैं और यह स्वाद लोगों की जबान पर भी चढ चुका है।

# दलित कॉलेज शिक्षकों को फिर चिन्हित कर तबादला किया

**जयपुर** , (कासं)। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ रुक्टा डेमोक्रेटिक के प्रदेश संयोजक डॉ.रमेश बैरवा ने नियमों की अनदेखी कर जातिगत द्वैषतावश चिन्हित कर कॉलेज शिक्षकों के ट्रांसफर जारी रखने पर आक्रोश जताया है।

रुक्टा डेमोक्रेटिक जातिगत भेदभाव के सख्त खिलाफ है। ट्रांसफर नियमों को नजरंदाज कर , द्वैषतावश एवं बदले की भावना से चिन्हित कर अलवर आर्ट्स कॉलेज से दलित कॉलेज शिक्षकों के तबादले किए जा रहे हैं। खुला भेदभाव हो रहा है। 20 अक्टूबर को जारी की गई नई सूची में भी

- **रुक्टा डेमोक्रेटिक ने जताया आक्रोश**
- **आर्ट्स कॉलेज में ट्रांसफर के जरिए लाए गए सभी 8 शिक्षकों में एक भी एससी/एसटी से नहीं**

आर्ट्स कॉलेज से तबादला दलित शिक्षक का ही किया है,जबकि तबादले के लिए शिक्षक तो अन्य वर्ग के भी हैं।

उल्लेख है कि जुलाई में शैक्षिणक सत्र शुरू होने से लेकर 6 अक्तूबर तक किए तबादलों में बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से ट्रांसफर कर हटाए गए सभी कॉलेज शिक्षक एससी /एसटी वर्ग के हैं। नियमों की अनदेखी कर हटाए गए इन 9 कॉलेज शिक्षकों में 8 एससी एवं एक एसटी वर्ग के हैं।

डॉ रमेश बैरवा को 12 अक्टूबर को एपीओ किया फिर 19 अक्टूबर को निलंबन कर दिया। आर्ट्स कॉलेज में ट्रांसफर के जरिए लाए गए सभी 8 शिक्षकों में एक भी एससी एसटी वर्ग का नहीं है। इन 8 में से 4 तो खुद उच्च शिक्षा मंत्री की जाति के हैं। अर्थात एससी /एसटी वर्ग का एक भी शिक्षक इस कॉलेज में नहीं लाया गया।

**रुक्टा, प्रदेश संयोजक डॉ. रमेश बैरवा**

## राशिफल शुक्रवार 21 अक्टूबर, 2022

पंडित अनिल शर्मा

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2079, मघा नक्षत्र दिन 12:28 तक, शुक्ल योग सांय 5:46 तक, बालव करण सांय 5:28 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

**ग्रह स्थिति:** सूर्य-तुला, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-मिथुन, बुध-कन्या, गुरू-मीन, शुक्र-तुला, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

कुमार योग सूर्योदय से दिन 12:28 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन 12:28 से सूर्योदय तक है। राजयोग सांय 5:23 से सूर्योदय तक है। आज रमा एकादशी व्रत, गोवत्स द्वादसी व्रत पूजा है। आज गुरू गोविन्द सिंह पूण्य दिवस (प्राचीन मत) है।

**श्रेष्ठ चौघड़िया:** चर सूर्योदय से 7:58 तक, लाभ-अमृत 7:58 से 10:47 तक, शुभ 12:11 से 1:36 तक, चर 4:25 से सूर्यास्त तक।

**राहूकाल:** 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:33, सूर्यास्त 5:50

**मेष**

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी।

**सिंह**

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

**धनु**

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

**वृष**

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

**कन्या**

आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च होगा। घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है।

**मकर**

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी।

**मिथुन**

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।

**तुला**

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा।

**कुंभ**

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**कर्क**

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

**वृश्चिक**

व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है।

**मीन**

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल बढ़ेगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।